डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2001—कार्तिक 11, शक 1923

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रारूप-पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिए]

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन टाटीबंध ट्रांसपोर्ट नगर योजना, रावाभाठा, ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं चंगोराभाठा आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र के लिए यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, अर्थात्—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर

उक्त नगर विकास स्कीम तारीख 3-10-2001 से प्रवर्तित होगी.

हस्ता/-
(विवेक ढांड)
अध्यक्ष,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर, छ. ग.

RAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, RAIPUR, CHHATTISGARH

FORM-XV
[See Rule 18 (3)]

Town & County Development Authority

The Town Development Scheme for the area-Tatibandh Transport Nagar Scheme, Rawabhata Transport Nagar Scheme & Changorabhata Residential/Commercial Scheme as approved under sub-section (4) of Section 50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published for the information of the general public and copies of the said schemes are available for inspection during Office hours at the following Offices namely :—

1. Raipur Development Authority, Raipur, Chhattisgarh.

2. Joint Director, Town & Country Planning, Raipur.

The said Town Development Scheme shall come into operation with effect from 3-10-2001.

Sd/-
(VIVEK DHAND)
Chairman
Raipur Development Authority,
Raipur, C.G.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि आवेदिकागण श्रीमती उर्वशी वाढेर धर्मपत्नी डॉ. प्रदीप वाढेर एवं श्रीमती रजनी नत्थानी धर्मपत्नी डॉ. इन्दर नत्थानी निवासिनीगण रायपुर तहसील वो जिला रायपुर के द्वारा (एकता चैरिटेबल ट्रस्ट) एकता हस्पीटल शांतिनगर रायपुर के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदकगण ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 12-11-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट की अचल संपत्ति	:	निरंक है.
ट्रस्ट की चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक न्यू शांति नगर शाखा रायपुर के खाता क्रमांक 01050051036 दिनांक 29-9-2001 में रुपये 2000.00 शब्दों में रुपये दो हजार मात्र जमा है.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.